

8.7.19 पत्रावली का न शक्य रूप से कोर्ट इशराल
में प्रेषण हुई मूल वद में कार्यवाही
रमाप्त की जा चुकी है। अतः इस
कारण में कार्य के कार्यवाही समाप्त
की जाती है। पत्रावली के सल शुभारंभ
होकर दारिद्र्य दफतर हो।

सहायक कलेक्टर
(SDO) चौहदन